संशोधन

संख्या-44/2026/2001(1)/25-27-सिं-9-109 भवन/25

प्रेषक,

राजीव कुमार वत्स,
संयुक्त सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

सिंचाई एवं जल संसाधन अनुभाग-9 **लखनऊ: दिनांक 06 फरवरी, 2026**

विषय: अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा के अन्तर्गत तृतीय उपखण्ड पलवल (हरियाणा) के कार्यरत अधिकारी/कर्मचरियों के आवास निर्माण की परियोजना की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-595/2025/001/2001/25-27-सिं-9-109 भवन/25, दिनांक 31.12.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में विषयगत परियोजना की अनुमोदित लागत रू0 488.09 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति एवं अनुदान सं0-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के लेखाशीर्षक 4700-97-051-10-14-24 राज्य वित्त पोषित सिंचाई परियोजना हेतु एकमुश्त व्यवस्था **(नई)** के अन्तर्गत रू0 120.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-1 में **अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा के अन्तर्गत तृतीय उपखण्ड पलवल (हरियाणा) के कार्यरत अधिकारी/कर्मचरियों के आवास निर्माण की परियोजना** के स्थान पर त्रुटिवश **हरियाणा राज्य में स्थित विभागीय भूमि की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवॉल निर्माण की परियोजना** अंकित हो गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 31.12.2025 के प्रस्तर-1 में अंकित **हरियाणा राज्य में स्थित विभागीय भूमि की सुरक्षा हेतु बाउण्ड्रीवॉल निर्माण की परियोजना** के स्थान पर **अपर खण्ड आगरा नहर, मथुरा के अन्तर्गत तृतीय उपखण्ड पलवल (हरियाणा) के कार्यरत अधिकारी/कर्मचरियों के आवास निर्माण की परियोजना** पढ़ा जाय।

भवदीय,
राजीव कुमार वत्स
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- प्रमुख अभियन्ता(परियोजना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
4- मुख्य अभियन्ता (बजट)/(अग्रिम नियोजन), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता (यमुना), सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, ओखला।
6- वित्त नियंत्रक, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
7- अनु सचिव(लेखा) एवं नोडल अधिकारी, ऑन लाइन बजट आवंटन, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है

http://shasanadesh.up.gov.in

8- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।

9- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

जगराम यादव

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है